FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी		चैनसुख पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी

राजस्व प्रार्थना–पत्र – अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908

वाद–पत्र नम्बर 70/2020 **RCMS No.** 2020/00152

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.08.2020	यह राजस्व प्रार्थना–पत्र राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला (नागौर) की ओर से अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार कुचामनसिटी के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस दौरान बताया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी में स्थित खसरा नम्बर 454/207 रकबा 0.3236 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आवासीय कॉलोनी काटकर कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, अप्रार्थी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नही है, अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला वाद पांबद फरमाया जावे। इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनॉक 21.09.2020 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी में स्थित खसरा नम्बर 454/207 रकबा 0.3236 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय भूमि को अप्रार्थी अन्यत्र बेचान, हस्तानान्तरण भारग्रस्त इत्यादि नही करे, एवं उक्त भूमि में किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण नही करे, दौराने वाद विवादित आराजी को गैर कृषि कार्यो के लिये उपयोग में नही लेवे। पत्रावली दिनॉक 21.09.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
21.9.2020	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश मे बाहर पधारे हैं। अत पत्रावली दिनांक 11.11.2020 को पेश हो	

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

11.11.2020 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश मे बाहर पधारे हैं। अत पत्रावली दिनांक 11.12.2020 को पेश हो

राजस्व प्रार्थना–पत्र नम्बर 70 / 2020 सरकार बनाम चैनसुख मेघवाल अन्तर्गत धारा 212 R.T.ACt

RCMS No.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11/12/2020	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश में बाहर पत्रावली ई। अन पत्रावली दिनांक 19.01.2021 को पेश हो	
19/01/2021	पत्रावली पेश हुई। राज पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी चैनसुख द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। शामिल मिसल रहे। पक्षकारान को सुना गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में विधिपूर्वक राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी द्वारा आदेश प्रारूप–11 क्रमांक / न.पा.कु. / भूमि / 2018–19 / 2870 दिनॉक 05.10.2018 अनुसार दीपपुरा के खसरा नम्बर 455 / 207 रकबा 0.4854 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 454 / 207 रकबा 0.3236 हैक्टर को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि पुनग्रहित कर नगरपालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रकरण में राज पैरोकार एवं अप्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी द्वारा 05.10.2018 को आदेश पारित किया जा चुका है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेज से होती है। प्रकरण में अब किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नही है, अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 17.08.2019 का निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आर.टी.एक्ट 1955 साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनॉक 19/01/2021 को मेरे इजलास सुनाया गया Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2021.02.26 13:29:59 IST Reason: SelfAttested (बाबुलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी(नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	